न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः– आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ, आई.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः– 04/2021 प्रार्थना पत्र   दायर दिनांकः 11.10.2021

उनवान

1. रामकुंवार पुत्र श्री प्यारचंद उर्फ प्यारा विश्नोई निवासी जम्बेश्वर मन्दिर के पास, मु.पो. दरीबा, तहसील व जिला भीलवाड़ा
2. नाथू लाल पुत्र श्री प्यारचंद उर्फ प्यारा विश्नोई निवासी माताजी के मन्दिर के पास, दरीबा, तहसील व जिला भीलवाड़ा

– अपीलार्थीगण

बनाम

1. श्रीमती पुष्पा पुत्री श्री प्यारचन्द उर्फ प्यारा विश्नोई पत्नी श्री गोर्धन लाल विश्नोई निवासी पंचायत भवन पानी की टंकी के पास, दरीबा, तहसील व जिला भीलवाड़ा
2. ग्राम पंचायत दरीबा, पंचायत समिति सुवाणा जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत दरीबा पंचायत समिति सुवाणा, तहसील व जिला भीलवाड़ा
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा।

– रेस्पोडेन्ट्स

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

उपस्थित :–

1–अधिवक्ता अपीलार्थीगण श्री प्रकाश देवानी

2–रेस्पोन्डेन्ट्गण के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही

:: निर्णय ::

दिनांक :–28.02.2024

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने एक अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत रेस्पोन्डेन्ट्स के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का उक्त निर्णय कानून एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्तनीय है, क्योंकि लीज डीड दिनांक 05.08.2013 को रेस्पोन्डेन्ट्स के हक में निष्पादित हो गई है, फिर भी उन तथ्यों को ध्यान में रखते हुये गलत तरीके से बिना पढ़े हुये यह नामान्तरण खोला गया है, जिससे गत खाता संख्या 468 का हिस्सा रेस्पोन्डेन्ट सं.–1 का हिस्सा अपीलार्थीगण के पक्ष में नामान्तरण नहीं हो सका।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

अपीलार्थीगण को रेस्पोन्डेन्ट सं.–1 के पैतृक शामलाती हक–अधिकारों की कृषि भूमि ग्राम दरीबा पटवार हल्का दरीबा, भू.अभि.नि. भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित है, जिसके वर्ष 2013 में खाता संख्या 467 आराजी सं. 879 रकबा 19 बिस्वा व खाता सं. 271 के आराजी सं. 878 रकबा 18 बिस्वा, आराजी सं. 962 रकबा 3 बीघा 09 बिस्वा, आराजी सं. 963 रकबा 1 बीघा 03 बिस्वा, आराजी सं. 2274/961 रकबा 04 बीघा 08 बिस्वा कुल किता 4 रकबा 9 बीघा 18 बिस्वा तथा गत वर्ष 2013 का खाता सं. 468 हाल खाता सं. 524 की आराजी सं. 862 रकबा 15 बिस्वा, आराजी सं. 863 रकबा 14 बिस्वा, आराजी सं. 864 रकबा 05 बिस्वा, आराजी सं. 865 रकबा 02 बिस्वा गे. मु. आचा, आराजी सं. 866 रकबा 05 बिस्वा, आराजी सं. 867 10 बिस्वा, आराजी सं. 868 रकबा 08 बिस्वा, आराजी सं. 869 रकबा 11 बिस्वा, आराजी सं. 870 रकबा 16 बिस्वा, आराजी सं. 871 रकबा 05 बिस्वा, आराजी सं. 872 रकबा 04 बिस्वा, आराजी सं. 873 रकबा 07 बिस्वा, आराजी सं. 874 रकबा 18 बिस्वा, आराजी सं. 875 रकबा 06 बिस्वा, आराजी सं. 876 रकबा 11 बिस्वा, आराजी सं. 877 रकबा 12 बिस्वा, आराजी सं. 880 रकबा 15 बिस्वा, आराजी सं. 885 रकबा 03 बिस्वा, आराजी सं. 1800 रकबा 01 बीघा 02 बिस्वा, आराजी सं. 1801 रकबा 10 बिस्वा, आराजी सं. 1802 रकबा 02 बीघा 17 बिस्वा, आराजी सं. 1803 रकबा 02 बीघा 02 बिस्वा, आराजी सं. 1804 रकबा 16 बिस्वा, आराजी सं. 1805 रकबा 16 बिस्वा, आराजी सं. 1806 रकबा 13 बिस्वा, आराजी सं. 1807 रकबा 01 बीघा 11 बिस्वा, आराजी सं. 1812 रकबा 01 बीघा 10 बिस्वा, आराजी सं. 1892 रकबा 02 बीघा 15 बिस्वा कुल किता 28 रकबा 22 बीघा 19 बिस्वा में अपीलार्थीगण व रेस्पोन्डेन्ट सं. 1 का शामलाती रूप से सम्मिलित है, जिसमें से रेस्पोन्डेन्ट सं. 1 ने अपीलार्थीगण के हक में दिनांक 22.05.2013 को रजिस्टर्ड हक–परित्याग के द्वारा गत खाता सं. 467 व 271 का अपना संपूर्ण हक–हिस्सा व गत वर्ष 2013 का खाता सं. 468 हाल खाता सं. 524 में से रेस्पोन्डेन्ट सं. 1 का 1/3 हिस्सा निहित था, जो हमारे पक्ष में रिलीज किया गया था, उसके बाद से ही उक्त भू–भाग पर अपीलार्थीगण काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं।

इस बाबत् अपीलार्थीगण ने नामान्तरण बाबत् मय दस्तावेजात् लगाकर रेस्पोन्डेन्ट सं. 2 व 3 के समक्ष प्रस्तुत किया, जिस पर नामान्तरण सं. 1683 दिनांक 05.01.2023 पर नामान्तरण पंजिका पर रिलीज डीड का हवाला देते हुये खाता सं. 467, 271 का संपूण खाता अपीलार्थीगण के नाम पर दर्ज हो गया किंतु गत वर्ष 2013 का खाता सं. 468 हाल खाता सं. 524 का 1/3 हिस्सा, जो रेस्पोन्डेन्ट सं. 1 द्वारा अपीलार्थीगण के पक्ष में हुआ था, वह दर्ज होना सहवन से रह गया तथा रिलीजशुदा हिस्सा उनके नाम पर दर्ज नहीं हुआ। जबकि अपीलार्थीगण द्वारा रजिस्टर्ड रिलीज डीड को रेस्पोन्डेन्ट सं. 2 व

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

3 के समक्ष पेश कर दी गई थी किंतु ग्राम पंचायत दरीबा द्वारा भूल से नामान्तरण सं. 1683 में गत खाता सं. 468 के अंतर्गत आने वाली आराजियात का 1/3 हिस्सा उनके नाम पर दर्ज करना भूल गये। रेस्पोन्डेन्ट सं. 3 लैण्ड होल्डर होने से पक्षकार बनाया गया है। अपीलार्थीगण को उक्त निर्णय की कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि रेस्पोन्डेन्ट सं. 2 व 3 के कारण लगातार आश्वासन मिलने के कारण व नामान्तरण नकल दिनांक 23.09.2021 को प्राप्त हुई, जिससे यह अपील मिलने जानकारी एवं मिलने नकल निर्णय से अंदर अवधि में प्रस्तुत है, विलम्बित अवधि को कन्डोन कराने हेतु धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अंत में प्रार्थना की कि अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार फरमायी जाकर ग्राम पंचायत दरीबा, प.स. सुवाणा जिला भीलवाड़ा द्वारा पारित नामान्तरण आदेश सं. 1683, दिनांक 05.08.2013 को अपास्त कर रिलीज डीड दिनांक 22.5.2013 में अंकित खाता संख्या 467, 271 व 468 में अंकित आराजियात में अपीलार्थीगण का हिस्सा अनुसार नाम दर्ज करने हेतु अपील स्वीकार कर आदेश प्रदान करावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मने तलब किया गया। विपक्षीगण उपस्थित नही होने से दिनांक 30.1.2023 को एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये।

अपीलार्थीगण के प्रार्थना पत्र धारा 05 लिमिटेशन पर सुनवायी कर नामान्तकरण संख्या 1683 निर्णय दिनांक 5.8.2013 की अपील प्रस्तुत करने के संबंध में हुये विलम्ब को न्यायहित में क्षम्य किया जाता है।

अपीलार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। बहस में बताया कि श्रीमति पुष्पा पुत्री प्यारचंद उर्फ प्यारा विश्नोई पत्नि गोर्धन विश्नोई निवासी दरीबा ने रिलीज डीड अपीलान्ट के पक्ष में दिनांक 22.05.2023 को पंजीयन करवायी। ग्राम दरीबा में स्थित खतौनी संख्या 467, 271, 468 में रेस्पोडेन्ट संख्या 01 का हक हिस्सा रिलीज किया गया। रिलीज डीड दिनांक 22.05.2013 के आधार पर नामान्तकरण संख्या 1683 पटवारी हल्का द्वारा भरा गया। जिसमें खतौनी संख्या 467, 271 की आराजियात का अंकन कर दिया। खातौनी संख्या 468 की आराजियात का अंकन नहीं किया। पटवार हल्का ने नामान्तकरण दायर करते समय नामान्तकरण संख्या 1683 में आ0नं0 468 का अंकन नही किया गिरदावर हल्का ने भी रिलीज डीड का अध्ययन किये बिना ही जांच रिपोर्ट अंकित कर दी ग्राम पंचायत दरीबा द्वारा नामान्तकरण संख्या 1683 पर पारित आदेश दिनांक 5.8.2013 रिलीज डीड दस्तावेज अनुसार त्रुटिपूर्ण है। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार करायी जाकर नामान्तकरण संख्या 1683 को अपास्त कर रजिस्टर्ड रिलीज डीड दिनांक 22.05.2013 में अंकित खाता संख्या

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

467, 271, 468 की आराजियात में से रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को हक हिस्सा अपीलान्ट के नाम राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज कराने का आदेश प्रदान कराया जाये।

:: **आदेश** ::

अपील अपीलान्ट स्वीकार कर ग्राम दरीबा के नामान्तकरण संख्या 1683 निर्णय दिनांक 05.08.2013 संरपंच ग्राम पंचायत दरीबा द्वारा पारित आदेश को अपास्त किया जाता है। नामान्तकरण संख्या 1683 को रिमाण्ड कर तहसीलदार भीलवाडा को निर्देश दिये जाते है कि रजिस्टर्ड रिलीज डीड दिनांक 22.05.2013 मे अंकित ग्राम दरीबा के खाता संख्या 467, 271, 468 में अंकित आराजियात में रेस्पोडेन्ट संख्या 01 का हक हिस्सा अपीलान्ट के नाम पर पुनः नामान्तकरण खोलकर स्वीकृत करने की नियमानुसार कार्यवाही करे। निर्णय की प्रति तहसीलदार भीलवाडा को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 28.02.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(आल्हाद निवृत्ति साममनाथ)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा